प्रेषक,

संख्या–120 प0आ0/2004–10पर्य0/2004

एन0एन0प्रसाद
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
पर्यटन निदेशालय,
देहरादून।

पर्यटन अनुभाग–

देहरादून:दिनांक 9 मार्च, 2004

विषय–पर्यटन विकास की नई योजनाओं के अन्तर्गत कर्णप्रयाग में पिण्डर नदी के तट पर स्नानघाट निर्माण/सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटक स्थल खिर्सू में पेयजल टैंक एवं पाईप लाईन के निर्माण हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–412/2–6–371/2003 दिनांक 17 नवम्बर, 2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पर्यटन विकास की उपरोक्त दो नई योजनाओं हेतु निम्न तालिका के अनुसार रूपये 53.02 लाख के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि रू0 49.77 लाख के आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2003–2004 में रू0 15.75 लाख (रूपये पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि लाख में)

क0सं0	योजना का नाम	आगणन की राशि	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2003–04 में स्वीकृत की गई धनराशि	कार्यदायी संस्था
1–	कर्णप्रयाग में पिण्डर नदी के तट पर स्नानघाट का निर्माण/ सौन्दर्यीकरण	47.27	44.02	10.00	नगर पंचायत कर्णप्रयाग, चमोली
2–	पर्यटक स्थल खिर्सू में पेयजल टैंक एवं पाईप लाईन का निर्माण	5.75	5.75	5.75	खण्ड विकास अधिकारी, खिर्सू, पौड़ी
	योग :–	53.02	49.77	15.75	

2–उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्यय मदो में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण कर स्थल आवश्यकतानुसार विस्तृत आगणन/ मानचित्र तैयार कर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय, बिना प्राविधानित स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2004 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वो शासन को उक्त तिथि को समर्पित कर दी जायेगी। कार्य के समयबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु निर्माण एजेन्सी से अनुबन्ध में पैनाल्टी क्लॉज रखा जाना भी सुनिश्चित करें।

5- समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग की स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप किया जाय।

6- व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरांत कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जाय और पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग एवं उक्त अन्य विवरण उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

8- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

9- उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-आयोजनागत-104-सम्वर्धन तथा प्रचार-14-पर्यटन विकास की नई योजना-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

10- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा संख्या-3022/वि0अनु0-3/2004 दिनांक 1 मार्च, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एन0प्रसाद)
सचिव।

पृ0प0सं0- प0आ0/2004 - पर्य0/2003, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल देहरादून।
2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4- श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त , उत्तरांचल शासन।
5- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
6- जिलाधिकारी, चमोली/ पौड़ी।
7- जिला पर्यटन विकास अधिकारी, चमोली/ पौड़ी।
8- नगर पंचायत, कर्णप्रयाग, चमोली।
9- खण्ड विकास अधिकारी, खिर्सू, जनपद पौड़ी।
10- वित्त अनुभाग-3।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0प्रसाद)
सचिव।

NIC

संख्या– 193 –प0आ0/2004–10 पर्य0/2003

प्रेषक,

एन0एन0 प्रसाद
सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

निदेशक पर्यटन,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग: देहरादून दिनांक 17 मार्च, 2004

विषय: पर्यटन विकास की नई योजना के अन्तर्गत कर्णप्रयाग में पिण्डर नदी के तट पर स्नान घाट/सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटक स्थल खिर्सू में पेयजल टैंक एवं पाइप लाईन के निर्माण हेतु धनावंटन हेतु जारी शासनादेश में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनदेश संख्या–180प0आ0/2004–10पर्य0/2001 दिनांक 9 मार्च 2004 के प्रस्तर 09 में इंगित "लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय" के स्थान पर "3452–पर्यटन" पढ़ा जाय। उपरोक्त शासनदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

2– शासनदेश की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय

(एन0एन0प्रसाद)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या– –प0आ0/2002–10पर्य0/2003, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– श्री एल0एम0पन्त अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
6– जिलाधिकारी, चमोली/पौढ़ी।
7– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, चमोली/पौढ़ी।
8– नगर पंचायत, कर्णप्रयाग, चमोली।
9– खण्ड विकास अधिकारी, खिर्सू, जनपद पौढ़ी
10 वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
11 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0प्रसाद)
सचिव।